



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2013, शनिवार/भाद्र 24—भाद्र 30, 1935
No. 22] NEW DELHI, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2013, SATURDAY/BHADRA 24—BHADRA 30, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा (वर्ग '3' और वर्ग '4') नियम, 1970 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ लेखापरीक्षक पद से है, उन बातों को सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंध वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. नियंत्रण प्राधिकारी.—रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा पद को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. स्थानांतरण का दायित्व.—ज्येष्ठ लेखापरीक्षक भारत में कहीं भी स्थानांतरण के लिए दायित्वाधीन होंगे।

6. निरहताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा-परीक्षक	17751 (2013)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । टिप्पण - उपदर्शित पद की संख्या में लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक का संख्याबल सम्मिलित है जिसमें ज्येष्ठ लेखापरीक्षक की श्रेणी में अधिकतम 80 प्रतिशत पद प्रचालित किए जाएंगे ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	दो वर्ष	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे लेखापरीक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200.20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1 : पुनरीक्षित नियम की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर लेखापरीक्षक के पोषक प्रवर्ग का पद धारण किए हुए व्यक्ति के लिए ज्येष्ठ लेखापरीक्षक श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की बनी रहेगी।

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति
रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए :

1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महा नियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन) —अध्यक्ष
2. रक्षा लेखा सहायक महा नियंत्रक —सदस्य
3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष
2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य
3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एफ. 9 (8)/सी/2010]

बीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th September, 2013

S.R.O. 58 —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to Senior Auditor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Auditor in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification, Pay Band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Controlling authority.—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Liability for transfer.—The Senior Auditor shall be liable to transfer anywhere in India.

6. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Auditor	17751* (2013) *Subject to variation dependent on workload. Note - Number of posts indicated includes the combined strength of Auditor and Senior Auditor with a maximum of 80% of posts to be operated in Senior Auditor.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800+ Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	
(10)	(11)	
By promotion	<p>Promotion :</p> <p>Auditors in the scale of pay of Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 in the Pay band-1 with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed two week training in relation to the duties of higher posts imparted at various Regional Training Centers functioning under the department.</p> <p>Note:1 The eligibility service for promotion to the grade of Senior Auditor shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Auditor on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee:—</p> <p>For offices other than the Controller General of Defence Accounts:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controller of Defence Accounts —Member 		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(12)

For the office of the Controller General of Defence Accounts:—

1. Senior Deputy Controller General or Deputy —Chairman
Controller General of Defence Accounts
(Administration)
2. Assistant Controller General of Defence —Member
Accounts
3. Senior Accounts Officer —Member

[F. No. 9(8)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2018, शनिवार/आश्विन 15—आश्विन 21, 1940

No. 23] NEW DELHI, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2018, SATURDAY/ASVINA 15—ASVINA 21, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

का.नि.आ. 82.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2). पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. अनुसूची में,—

(क) स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 6
(35400-112400 रु.);

(ख) स्तम्भ (11) में, शब्दों और अंकों वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. " के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.)" को रखा जाएगा।

(ग) उप-शीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(1)/सी/2017]

आर.के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 11 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में संख्यांक का.नि.आ. सं. 58 तारीख 21 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 11th September, 2018

S.R.O. 82.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2013, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2013, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"(2). **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules".

3. In the Schedule,—

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

" Level in pay matrix
(4)
Level 6
(Rs.35400-112400)";

(b) in column (11), for the words and figures " the scale of pay band of Rs. 5200-20200 plus with grade pay Rs. 2800" , the words, brackets and figures "level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted.

(c) under sub-heading 'Promotion' Note 3 shall be omitted.

[F.No. 9(1)/C/2017]

R.K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note:- The principal rules dated the 11th September, 2013 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 58 dated the 21st September 2013.